जनसत्ता



# सुरक्षा का संकट

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाने में जिस तरह से वक्त लग रहा है, उससे लोगों के भीतर ये आशंकाएं पैदा होना स्वाभाविक ही है कि कहीं कोई दोषी कोई फंदे पर लटकने से बच तो नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए है कि इस कांड के दोषियों के खिलाफ मौत का फरमान जारी करने के मामले में अदालत ने सुनवाई सात जनवरी तक के लिए टाल दी है। हाल में जिस तरह की तैयारी की खबरें आई थीं, उससे यह लग रहा था कि जल्द ही इस मामले में दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पीड़ित पक्ष सहित देश भर में इस पर निराशा का माहौल बना। हालांकि अदालतें कानून के हिसाब से चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक दोषी की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। इससे पहले इस साल जुलाई में तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी थी। इससे यह तो साफ हो गया है कि अदालतों से दोषियों को अब किसी भी तरह की तरह की राहत मिलने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका के विकल्प बचे हैं।

बलात्कार-हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जिस तेजी से मामलों का निपटारा होना चाहिए, वह मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में बेहद मुश्किल है। न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचती चली जाती है कि कई बार न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। निर्भया कांड को सात साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक बचाव पक्ष के लोग कानूनी दांवपेंचों का सहारा लेते हुए बचाव का कोई न कोई रास्ता निकालने की जुगत में हैं। वरना एक दोषी का वकील अदालत के समक्ष ऐसा विचित्र तर्क क्यों रखता कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण जीवन छोटा होता है, उसके मुवक्किल के साथ अन्याय हुआ है, या उसका मामला मीडिया के दबाव से प्रभावित रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस मामले में मीडिया और देशभर में चले आंदोलन से जो दबाव बना, उसी से अदालतों ने भी इसमें फुर्ती दिखाई। वरना देशभर में हजारों मामले ऐसे होंगे जो सालों से लटके पड़े होंगे और जिनकी सुनवाई के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी। अपराधी, आरोपी और दोषी न्यायिक व्यवस्था की इसी खामी का फायदा उठाते हैं और ज्यादातर मामलों में सजा नहीं हो पाती।

निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा की दिशा में केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, जिस तरह के सख्त कानून बनाए, राज्यों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए जो कड़े निर्देश दिए थे, वे एक तरह से बेअसर ही साबित हुए। राज्यों ने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों महिलाओं के प्रति ऐसे अपराधों का ग्राफ काफी ऊंचा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड तक ने सबको हिला दिया था। आरोपी सत्तारूढ़ दल का विधायक था, इसलिए लंबे समय तक बचता रहा। सात साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी न जाने कितनी वारदात हुई हैं, लेकिन किसी भी मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित अदालतों के गठन का फैसला हुआ है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रति सरकार की उदासीनता एक बड़ी समस्या है। इसी से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। अदालतों की अपनी मजबूरियां हैं। स्थानीय पुलिस की भी इसमें बड़ी भूमिका रहती है। अपराधियों को अक्सर मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, यह गंभीर सवाल है।

# विध्वंस का महिमामंडन

कोई भी समाज अपने सभ्य होने के क्रम में अतीत की नकारात्मक छवियों और गलतियों को दूर करता है और आगे की राह को ज्यादा से ज्यादा सौहार्दपूर्ण बनाता है। बीते हुए दौर में अगर किन्हीं वजहों से कोई सामूहिक बर्ताव सवालों के घेरे में खड़ा होता है तो उसे दुरुस्त करने या उससे बचने की कोशिश ही समाज को मानवीय बनाने के लिए आगे के सफर पर ले जा सकती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अतीत की किसी ऐसी अराजक गतिविधि का भी महिमामंडन किया जाता है जिसे एक सभ्य और विकासमान समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक के मंगलुरु शहर के एक स्कूल में सांस्कृतिक समारोह के दौरान जिस गतिविधि का आयोजन किया गया, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आज भी सामाजिक सौहार्द के सामने किस तरह चुनौतियां खड़ी हैं। गौरतलब है कि आरएसएस से जुड़े स्कूल श्रीराम विद्या मंदिर में आयोजित वार्षिक खेल समारोह के दौरान एक हिस्से में बाबरी मस्जिद के ढांचे के विध्वंस का नाट्य रूपांतरण दिखाया गया, जिसमें ढेर सारे बच्चे भाग ले रहे थे और दर्शकों में भी बच्चों की बड़ी तादाद थी।

पहली नजर में यह एक सामान्य-सी बात लग सकती है, लेकिन इस प्रस्तुति में सोच और अभिव्यक्ति के कई ऐसे स्तर दिखते हैं जो व्यक्ति और समूह की सोच के दायरे को और संकीर्ण कर सकते हैं। अव्वल तो छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जिस तरह अराजक तरीके से गिराया गया था, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका समर्थन करना संभव नहीं है। वह एक गैरकानूनी और अराजकता फैलाने वाली गतिविधि थी और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समूचे विवाद पर अपने फैसले में उसे गलत ठहराया है। अगर इसे इसी तरह इतिहास के एक ब्योरे के रूप में बच्चों के सामने रखा जाता है या उन्हें इस समूचे प्रसंग से परिचित कराया जाता है तो उसका एक स्पष्टीकरण हो सकता है। लेकिन अराजक विध्वंस की उस घटना का महिमामंडन करती कोई प्रस्तुति आखिर एक सभ्य व्यवस्था में जीते बच्चों और दूसरे लोगों के भीतर किस तरह का संदेश देगी? अब इस प्रस्तुति के आयोजन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जाहिर है, यह इस मामले का कानूनी पहलू है और जरूरी कार्रवाई होगी, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इस तरह की प्रस्तुति का खयाल आयोजकों को क्यों आया!

एक राजनीतिक समूह की कोई विचारधारा हो सकती है। उसका उपयोग देश की राजनीति में हो सकता है। लेकिन किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर अतीत की किसी ऐसी घटना के महिमामंडन में शामिल किया जाए, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने भी गलत ठहराया है, तो उसे कैसे देखा जाएगा! यह छिपा नहीं है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद ने बहुत लंबे दौर तक देश की राजनीति और सामाजिक सोच को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह मामला फिलहाल अपने अंजाम तक पहुंच गया लगता है। इस फैसले के बाद जागरूक और संवेदनशील समूहों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस अध्याय को पीछे छोड़ कर अब सौहार्द के सफर पर आगे बढ़ा जाए, ताकि संबंधित दोनों धार्मिक समुदायों के बीच प्रेम और विश्वास का माहौल फिर से तैयार हो। लेकिन अतीत की किसी घटना ने देश में दो समुदायों के बीच दूरी की जो रेखा खींची थी, अगर उसे और गहरा करने की कोशिश की जाएगी तो उसके कोई सकारात्मक नतीजे नहीं सामने आ सकते।

## कल्पमेधा

स्त्रियों की उन्नति और अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर है।

– अरस्तू

# देश की विरासत से खिलवाड़

स्वामी अग्निवेश

**संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में सभी धर्मों, जातियों और लिंगों को बराबरी का अधिकार दिया था। ऐसे में यह कानून भारतीय संस्कृति, संविधान में दिए गए समानता के अधिकारों के साथ ही आजादी के संघर्ष के दौरान निर्मित सामाजिक-राजनीतिक मूल्यों के खिलाफ जाता है।**

नागरिकता संशोधन कानून-2019 को लेकर समूचा देश आक्रोशित है। जगह-जगह से धरने-प्रदर्शन और विरोध की खबरें आ रही हैं। विपक्ष के साथ ही देश के बुद्धिजीवियों ने भी इसे देश के सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरनाक बताया है। धार्मिक आधार पर भेदभाव वाले इस कानून की चारों ओर आलोचना हो रही है और इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को बदलने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत के इतिहास में अभी तक किसी को धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता देने से मना नहीं किया गया है। लेकिन इस कानून के बाद भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे मुसलमान भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएंगे।

देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान इस कानून से डरा और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। न सिर्फ मुसलमान, बल्कि पूर्वोत्तर के हिंदू भी इस कानून को अपने हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में भी इसका विरोध करते हुए जन समुदाय सड़कों पर है। देश और दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राएं इसका मुखर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसी भी लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार उसके जिंदा रहने का सुबूत होता है। लेकिन जिस तरह से छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, वह निंदनीय है। देश में व्यापक नागरिक समाज इसके विरोध में उतर आया है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों ने इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम बंगाल में तो इसका विरोध उग्र रूप अख्तियार करता जा रहा है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में तनावपूर्ण हालात हैं। सेना और पुलिस की तैनाती के बाद भी प्रदर्शनकारी कर्फ्यू तोड़ सड़कों पर हैं।

भारतीय समाज को संविधान से मिले समानता और कानूनी बराबरी के अधिकार को खंडित करने वाले इस कानून पर पूरी दुनिया की नजर है, जो कूटनीतिक तौर पर देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआइआरएफ) ने स्पष्ट कहा कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून 'गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम' है। भारत के इस कदम से यूएससीआइआरएफ बेहद चिंतित है। आयोग ने कहा, 'धार्मिक बहुलवाद भारत और अमेरिका दोनों ही देशों की नींव है और हमारे साझा मूल्यों में से एक है। नागरिकता के लिए धर्म को आधार बनाना बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करता है।'

देश भर में हो रहे हिंसक और उग्र विरोध को देखते हुए ही गृहमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून में बदलाव का संकेत दिया है। उनका कहना है कि हम इसका समाधान ढूंढ़ने के लिए सोच सकते हैं। इस अधिनियम से पूर्वोत्तर के लोगों के संस्कृति, भाषा, सामाजिक पहचान और राजनीतिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने विरोध करने वालों का कपड़ा देखने की बात कह कर इस मामले में सत्तापक्ष का रुख साफ कर दिया है। सवाल है कि विरोध करने वालों का कपड़ा और रंग देख कर क्या किसी देश में न्याय किया जाता है? ऐसे में क्या यह समझा जाए कि देश में जो उग्र विरोध हो रहा है उसे शांत करने में शासन-प्रशासन की कोई रुचि और जिम्मेदारी नहीं है?

सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को इस कानून में कुछ सहूलियत देने की बात कर रही है। लेकिन सवाल केवल पूर्वोत्तर का नहीं है। सवाल देश के इतिहास, परंपरा, चरित्र और संविधान की मान्यताओं का है। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी इस कानून को अपने नागरिकता पर संकट का आहट मान कर सड़कों पर उतर चुकी है। अल्पसंख्यकों को भय है कि हिंदुत्व की पैरोकार सरकार कहीं धीरे-धीरे उसे दोयम दर्जे का नागरिक न घोषित कर दे। विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून-2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में उन मुसलमानों को नागरिकता देने के दायरे से बाहर रखा गया है जो भारत में शरण लेना चाहते हैं।

सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होती है और वे भारत में शरण चाहते हैं। इन देशों में मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता है। ऐसे में हम वहां से आए अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं। सरकार की यह दलील सही नहीं है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में न सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, बल्कि अहमदिया मुसलमानों के साथ भी भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं। दूसरा, सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर ही कोई एक देश से दूसरे देश में जाकर नागरिकता नहीं पाना चाहता। आधुनिक समय में रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए भी लोग दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका में भारत और एशिया के कई देशों के लाखों लोग नागरिक हैं। उन्हें उनका धर्म देख कर नागरिकता नहीं दी गई है। धर्म को नागरिकता की कसौटी बनाना आधुनिक राष्ट्र-राज्य के विचार का ही विरोध है।

सवाल यहीं से उठना शुरू होता है। भारत सदियों से धर्मनिरपेक्ष चरित्र का देश रहा है। जंगे आजादी में हर जाति और धर्म का खून बहा है। भारत की धार्मिक और जातीय एकता अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनी रही। अंत में देश छोड़ने के पहले से ही भारतीय उपमहाद्वीप को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की साजिशें शुरू हो गई थीं। जिन्ना और मुसलिम लीग के नाम से उन्हें एक मोहरा मिल गया था। लेकिन देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा होने के बावजूद हमारे नेताओं ने धर्म के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में सभी धर्मों, जातियों और लिंगों को बराबरी का अधिकार दिया था।

ऐसे में यह कानून भारतीय संस्कृति, संविधान में दिए गए समानता के अधिकारों के साथ ही आजादी के संघर्ष के दौरान निर्मित सामाजिक-राजनीतिक मूल्यों के खिलाफ जाता है।

नागरिकता कानून का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि केंद्र सकार ने इस कानून को बना कर जिन्ना के द्वि-राष्ट्रवाद को स्वीकार कर लिया है। इस कानून से भारत की वह पहचान और विशेषता खंडित हो गई, जिसका जिक्र स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद में अपने भाषण में किया था। विवेकानंद ने कहा था-'जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों-करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी।'

ऐसे में संशोधित नागरिकता कानून न केवल देश के गणतंत्र को छिन्न-भिन्न कर देगा, बल्कि देश की संस्कृति और उसकी परंपरा को भी रौंदने का काम करेगा। यह गैर-संवैधानिक तो है ही, साथ ही भारत की बहुधार्मिक, बहुनस्लीय और बहुभाषी संस्कृति और देश की हजारों साल पुरानी सौहार्दपूर्ण विरासत को भी मटियामेट करने वाला है।

# मंजिल की बुनियाद

शिवांशु राय

**दुनिया मेरे आगे**

दसवीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने कहा- 'बुनियाद मजबूत कर रहा हूं, इमारत तो बहुमंजिला ही बनाना है।' ऐसा उसके मुंह से पहली बार मैंने सुना था। यह बात मेरे जेहन में बैठ गई। वास्तव में जीवन का यही तो निर्विवाद सत्य है, जिसकी बिसात पर सफलता की सीढ़ियों का निर्माण होता हैं। जीवन के शुरुआत से अंत तक अनंत भ्रमों में दिग्भ्रमित होकर हम अपने लक्ष्य से दूर त्वरित परिणाम और लक्ष्यों के लिए वैकल्पिक रास्ते की तलाश में अपनी बुनियादी संरचनाओं को खोखला करते जाते हैं और परिणामस्वरूप विफलता के कालजयी परिणामों से रूबरू होना पड़ता है। लक्ष्य के निर्धारण में मनुष्य को अनेक समस्याएं सामने आती हैं जो इस सुदूर सफर की शुरुआत में सबसे पहली बाधा होती है। लक्ष्य के निर्धारण के बाद भी मनुष्य अपने उतावलेपन जैसी मानसिकता पर काबू नहीं रख पाता। वास्तव में यह और भी खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि इंसान उस वक्त दो राह पर खड़ा हो गया रहता है।

मनुष्य जीवन मे अनेक दुश्वारियां आती हैं, जिससे व्यक्ति का मन विचलित होने लगता है। हिम्मत टूटने लगती है, पर धैर्य धारण ही एक ऐसा अस्त्र होता है जो उम्मीदों को मन में दृढ़ता से संजोए रखता है। माना जाता है कि मानवीय जीवन महत्त्वाकांक्षा से भरा हुआ होता है। ऐसे में महत्त्वाकांक्षाओं को जल्दी पूरा करना भी मनुष्य का लक्ष्य होता है। यही उतावलापन उसे अनेक गलतियों की तरफ धकेलता है, जिससे व्यक्ति अपेक्षित परिणाम न मिलने से टूट जाता है। इस अवस्था में भी धैर्य व्यक्ति को ढांढ़स दिए रहता है। दुनिया में इसके तमाम उदाहरण हैं। बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले दस हजार बार नाकाम प्रयास किया था। बावजूद इसके जब उन्होंने सफलता पाई तो उनके शब्द थे- 'मैं हारा नहीं, बल्कि मैंने ऐसे हजार रास्ते खोजे, जिनसे सफलता नहीं मिल सकती'। कितना सुंदर नजरिया है।

धैर्य भले ही इंसान को दिग्भ्रमित होने से रोकता है, पर इंसान के अंदर धैर्यवान और संकल्प भाव का संचार एकाग्रता के कारण ही आता है। आमतौर पर मनुष्य का मन विचलित अवस्था में अधिक रहता है, जिसका मुख्य कारण है तमाम प्रकार की मन में उठ रही उत्सुकताएं। यह अवस्था कुछ समय के लिए आवश्यक भी रहती है, लेकिन हम विचलित मन से अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति नही कर सकते, क्योंकि विचलित मन व्यक्ति को एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने, संकल्पित भाव से अडिग रहने और धैर्य रखने से रोकता है। कभी-कभी विचलित स्वभाव नकारात्मकता को भी जन्म देता है। इस कारण व्यक्ति सकारात्मक चीजों की तरफ से विमुख होने लगता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होने लगती है, मानसिक व्याकुलता में वृद्धि होती है। उतावलेपन में व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, जो कभी-कभी पतन का कारक बन जाता है। एकाग्रता सबसे पहले मानसिक रूप से व्यक्ति को दृढ़, संयमी और धैर्यवान बनाती है। दृढ़ता व्यक्ति को साहसी बनाती है और साहसी व्यक्ति ही अपने जीवन में निर्णायक कदम उठा सकता है।

मजबूत बुनियाद के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा दो प्रकार से व्यक्ति के अंदर आती है- बाहरी और आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा के स्वरूप को देखें तो इसमें स्थायित्व नहीं होता, बल्कि ये क्षणिक होती है, जिसका बिखरना तय है। यह सिर्फ प्रेरक पर निर्भर करती है। जब तक प्रेरक विद्यमान है, तब तक ही बाहरी प्रेरणा व्यक्ति को प्रेरित करता है। यह कभी-कभी व्यक्ति के अंदर मानसिक दबाव, तनाव आदि भी पैदा कर देता है, जिससे उसके अंदर हीनभावना उत्पन्न हो जाती है। इससे कार्य-क्षमता और रचनात्मकता में गिरावट आने लगती है। दूसरी ओर, अंदरूनी प्रेरणा व्यक्ति के अंदर दो कारणों से उत्पन्न होती है। पहला अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने और दूसरा जिम्मेदारियों के निर्वहन का दायित्व समझने पर। जिम्मेदारियां व्यक्ति को अपने लक्ष्य और संकल्प को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह सर्वविदित है कि जिम्मेदारियों की कमी प्रेरणा को भी छीन लेती है। इससे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक प्रेरणा का संचार होने लगता है। यानी कुल मिला कर आंतरिक प्रेरणा हमेशा व्यक्ति में बनी रहती है और यह सकारात्मकता का संचार करते हुए उसे धैर्यवान और संकल्पित बनाती है। इसके बाद इंसान की सबसे बड़ी चुनौती दौड़ में खुद को बनाए रखने की होती है, क्योंकि इससे अपनी वास्तविकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कड़ी में इच्छा और इरादा में फर्क करना मनुष्य सीख जाता है, क्योंकि इच्छा डगमग हो सकती है, उसका सौदा हो सकता है, पर इरादे को कोई किसी भी कीमत पर हिला नहीं सकता। और यही मंजिल की ओर राह प्रशस्त करने का जरिया बन जाती है।

इस तरह जिंदगी के रंगमंच पर सफलता की राह में किसी भी मनुष्य को लक्ष्य का निर्धारण, धैर्यपूर्वक और संकल्पित होकर आंतरिक प्रेरणा को उद्वेलित करते हुए उसे आत्मसात करना अहम है। इसी राह पर एक मजबूत बुनियाद की शुरुआत होती है जो भविष्य में व्यक्ति को हर मोड़ पर अलग-अलग तरीकों से मददगार होती है और यही अवस्था स्थायित्व का भी निर्माण करती है।

# प्रतिभा का ठौर

इसमें दो राय नहीं कि राष्ट्रप्रेम हर व्यक्ति के लिए सर्वोपरि होना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में देशवासियों को योगदान देना चाहिए। प्रतिभासंपन्न व्यक्ति ही किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक संपदा होती है। इन्हीं की दशा और दिशा पर देश का भविष्य निर्धारित होता है। इन्हीं की बहुलता के कारण कोई देश समृद्ध, खुशहाल और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी माना जा सकता है। देश-विदेश के जिज्ञासु, विद्वान और प्रतिभासंपन्न लोग इसी कारण हमारे देश में खिंचे चले आते थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी है।

प्रतिभा का पलायन कोई नई समस्या नहीं है और न ही किसी एक देश तक सीमित है। यह समस्या दशकों पुरानी है और विश्व के अधिकतर विकासशील देश इससे पीड़ित हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक नुकसान भारत का हो रहा है, क्योंकि प्रतिभासंपन्न लोगों के क्षेत्र में भारत काफी धनी है, लेकिन सबसे अधिक प्रतिभाओं का पलायन यहीं से हो रहा है। हालांकि पहले भी प्रतिभाओं का पलायन होता रहा है, लेकिन इस समस्या को उदारीकरण ने और हवा दी है। साठ से नब्बे के दशकों में ज्यादातर बीस-पच्चीस वर्ष की आयु की युवा प्रतिभाएं ही देश से पलायन करती थीं। नए होने के कारण इन्हें इस उम्र में दूसरे देश के वातावरण और कार्य शैली में ढलने में आसानी होती थी। दूसरा, उस समय अधिकतर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि ही जाते थे।

आज भारत से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति विदेश पलायन कर जाते हैं, जिससे भारत में उच्चस्तरीय प्रतिभाओं की कमी हो जाती है। भारत से डॉक्टर व्यापक रूप से विदेशों में पलायन कर रहे हैं, जबकि भारत में जनसंख्या से अनुपात में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। विशेषकर भारत के गांव डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। अब वक्त आ गया है और विकास को गति देने के लिए प्रतिभाओं के पलायन को रोकना आवश्यक है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां और वातावरण बनाना होगा। यह सरकार की इच्छाशक्ति और महत्त्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वह इस दिशा में जितनी शीघ्र ठोस कदम तो उचित होगा। भारत सरकार को प्रतिभा पलायन जैसे मुद्दे के लिए सख्त कदम उठाने ही होंगे। देश की प्रतिभाएं अगर देश के ही हित में काम करें तो यह सबसे बेहतर होगा। इसी रास्ते हम अपना वास्तविक सामाजिक विकास कर पाएंगे।

● *अनु मिश्रा, बिदुना, सिवान*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

## कसौटी पर संबंध

नागरिकता संशोधन कानून के अमल में आने के बाद पड़ोसियों से हमारे संबंध प्रभावित होंगे। भारत का अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध भले ही मधुर न हों, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध घनिष्ठ रहे हैं। बल्कि बांग्लादेश तो हमारा वह पड़ोसी देश है, जिसको अस्तित्व प्रदान करने में भारत का बड़ा योगदान था और इसी कारण उससे हमारे संबंध बड़े ही घनिष्ठ रहे। अफगानिस्तान से वैसे तो भारत की सीमा नहीं मिलती, फिर भी हमारे संबध उस देश से बड़े ही मधुर रहे हैं। और पिछले पंद्रह वर्षों में भारत ने वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बड़ा योगदान दिया है। वहां के बहुत सारे नागरिकों ने भारत में शरण भी ले रखी है। ऐसे में हाल में पारित नागरिकता कानून इन दोनों मित्रों से हमारे संबंध को कसौटी पर खड़ा होने का कारण बनता नजर आ रहा है। हमने अगर सभी पड़ोसियों को इसमें सम्मिलित किया होता तो संबंधों पर प्रभाव कम पड़ता, पर वर्तमान रूप में यह कानून हमें अपने पड़ोसियों से दूर करने का कारण बन जाएगा। अपने पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ना हमारे हित में कदापि नहीं हो सकता। इसलिए समझदार नागरिक को देशहित में इस कानून का विचार करना चाहिए।

● *वारिस हुसैन, दिल्ली*

## लोकतंत्र का कठघरा

सरकार का आरटीआई कार्यकर्ता और खोजी पत्रकार से हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहता है। इसीलिए 2010 में असम का कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अखिल गोगोई पर माओवादी होने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में बढ़ते विरोध को देखते हुए मामला वापस लिया गया। ठीक उसी दृश्य को दोहराते हुए नागरिकता कानून के विरोध में रैली आयोजित करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा उन पर यूएपीए जैसे खतरनाक कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले अगस्त में ही पारित इस कानून के तहत एनआइए का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी किसी को भी आतंकवादी करार दे सकता है। अखिल गोगोई को इसका पहला शिकार बनाया गया है। सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक इस कानून में यह है कि इसकी कोई न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। अभियुक्त सिर्फ गृह सचिव के पास अपील कर सकता है। यह पद कितना निष्पक्ष होता है, सभी को मालूम है। वर्तमान सरकार जिस तरह के कदम उठाए जा रही है, उसका जवाब में उसे भविष्य में देना पड़ सकता है। देश का लोकतंत्र एक दिन सबको कठघरे में खड़ा करता है।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

## किसका विश्वास

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध संसद से लेकर सड़क तक पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल देश में फिर नोटबंदी के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि डॉ आंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया, उसका लोहा अंग्रेजों ने भी माना था। गांधी और आजाद ने इसे सराहा था। ऐसे कानून को छेड़ कर सरकार विचित्र नीतियां थोपने का काम कर रही है। देश की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। देश किसी एक समुदाय का कैसे हो सकता है। गांधी के देश में सरकार ऐसी सोच वाली विचाधारा लागू कर रही है, जिनकी देश की आजादी में कोई भूमिका नहीं रही।

पूर्ण बहुमत की सरकार का यह मतलब नहीं कि पूरे संविधान को बदलने का प्रण कर लिया जाए। नोटबंदी के समय भी देश हित का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया गया था कि इससे आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, काले धन पर लगाम लगेगा। मगर क्या हुआ, यह देश की जनता देख रही है। जहां देश में चर्चा अर्थव्यवस्था को सुधारने, नौकरी के अवसर तलाशने-बनाने की होनी चाहिए, वहां फिजूल के मुद्दों से लोगों का ध्यान बंटाया जा रहा है। सरकार का नारा- 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास', केवल मुहावरा ही साबित हुआ है।

● *मोहम्मद आसिफ, जामिया नगर, दिल्ली*

नई दिल्ली

www.readwhere.com